

FORM - 17

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

भू उपयोग परिवर्तन (आवासीय से वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजन) हेतु आवेदन-पत्र

उपायुक्त / प्राधिकृत अधिकारी,
जोन-
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

महोदय,

PHOTO OF
APPLICANT

सविनय भू-उपयोग परिवर्तन (आवासीय से वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजन) हेतु आवेदन के संबंध में आवेदक एवं भूमि की सूचना निम्नानुसार है :-

आवेदक का विवरण :		
आधार नं.		
जनआधार नं.		
आवेदक का नाम	(हिन्दी में)	-----
	(In English)	-----
आवेदक के पिता/पति का नाम	(हिन्दी में)	-----
	(In English)	-----
वर्तमान पता	----- -----	
मोबाईल नं.		
ईमेल आईडी		
भूखण्ड का विवरण (भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है) :- ☐ वाणिज्यिक ☐ अन्य प्रयोजनार्थ		
सर्विस नम्बर / प्रोपर्टी आई.डी.		
विकासकर्ता का प्रकार	☐ जयपुर विकास प्राधिकरण ☐ निजी खातेदार ☐ सहकारी समिति ☐ खातेदारी भूमि ☐ अन्य	
विकासकर्ता का नाम		
योजना का नाम		
भूखण्ड संख्या		

जविप्रा द्वारा जारी पट्टे में अंकित विवरण :				
भू-स्वामी/पट्टाधारक का नाम				
पट्टा जारी क्रमांक व दिनांक				
पट्टा रजिस्टर्ड होने का दिनांक				
स्वामित्व अन्तरण का आधार एवं क्रम :				
क्रम	दस्तावेज का नाम	दिनांक	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम
1.				
2.				
3.				
क्या भूखण्ड के संबंध में किसी भी न्यायालय/मंच/अधिकरण/आयोग/अन्यत्र कोई वाद विचाराधीन है?		☐ नहीं ☐ हां (यदि हां, तो विवरण)	न्यायालय/मंच/अधिकरण/आयोग का नाम.....	
				
			सीएनआर संख्या	
			वाद संख्या.....	
			उनवान.....	
			वाद का विषय	

आवेदक भूमि पर कोई विधिक विवाद/स्थगन/अवरोध नहीं है। सेवा प्राप्ति हेतु उक्तानुसार सूचना का इन्द्राज करते हुए अपेक्षित दस्तावेजात मय शपथ-पत्र संलग्न/अपलोड किये गये हैं, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/फेरबदल पाये जाने की स्थिति में मेरा आवेदन प्रथमदृष्टया निरस्त किये जाने से सहमत है एवं सेवा प्राप्ति उपरान्त भी आवेदक भू-उपयोग परिवर्तन पत्र वापिस लौटाने हेतु वचनबद्ध है तथा आवेदक सेवा से संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध है।

अतः कृपया नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन पत्र जारी करवाये जाने का कष्ट करें।

संलग्न—

1. आवेदन पत्र में एक फोटो
2. पहचान पत्र (जन-आधार कार्ड/आधार कार्ड/मतदान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेन्स)
3. जविप्रा सेक्टर प्लान एवं मास्टर प्लान 2011, 2025
4. भूखण्ड से संबंधित अपंजीकृत/पंजीकृत विक्रय-पत्र (चैन ऑफ डॉक्यूमेंट)
5. आवेदन शुल्क 1/— रु. प्रति वर्ग गज (कम से कम रु. 500/— एवं अधिकतम रु. 50,000/—) जमा चालान की प्रति पत्रावली के साथ नागरिक सेवा केन्द्र, जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करावें।

☐ मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न/अपलोड की गई है। इनमें किसी भी प्रकार का फेरबदल, भिन्नता या कूटरचना नहीं है। इनकी सत्यता के लिए मैं/हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ।

दिनांक :

स्थान :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....